कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 3581 / सां.लि / कोरोना / 2020 कवर्धा, दिनांक 26 / 05 / 2020

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने तथा इस पर नियंत्रण हेतु जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 के तहत् दिनांक 17.08.2020 रात्रि 12.00 बजे तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। कार्यालयीन आदेश कमांक 3365 दिनांक 18.05.2020 द्वारा प्रतिबंधात्मक अवधि में विभिन्न गतिविधियों हेतु छूट प्रदान की गई है। कार्यालयीन आदेश कमांक / 4547 / एनएचएम / 2020 कबीरधाम, दिनांक 24 अप्रैल 2020 द्वारा जारी निर्देश को निरस्त करते हुए पान, गुटखा, तम्बाकू ठेले को खोलने की अनुमति निम्नानुसार निर्देश के साथ दिया जाता है–

1. सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान निषेध होगा।
2. सिगरेट व तम्बाकू विकय थोक / फुटकर संस्थान जैसे पानठेला, गुमास्ता खोमचे मनिहारी या दुकान के समीपस्थ भी धुम्रपान करना अपराध है। सिगरेट व तम्बाकू विकेय धुम्रपान में सहायक वस्तुएं जैसे बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस / लाइटर), ऐश ट्रे इत्यादि सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करवायेंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर संस्थान के मालिकों से अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा।
3. यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक / भारी उल्लंघन करने पर कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जायेगा।
4. 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना एवं खरीदना अपराध है।
5. नाबालिगों को तम्बाकू पदार्थ बिकी स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए।
6. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
7. ठेले के बीच न्यूनतम 20 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा।
8. सार्वजनिक स्थान पर पान, गुटका, तम्बाकू का सेवन एवं थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
9. दुकान मालिक की जिम्मेदारी होगी कि ग्राहको के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रहें।
10. दुकान में एक समय में 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होना चाहिए।
11. दुकान मालिक एवं ग्राहकों को मास्क अनिवार्यतः पहनना होगा।
12. ग्राहकों की सुविधा के लिए सूचनापटल बनाएं जिसमें भीड़ न बढ़ाने, शारीरिक दूरी बनाए रखने का संदेश सूचना फलक पर चस्पा करना होगा।
13. दुकान में हेण्ड सैनेटाईजर की व्यवस्था रखना होगा।

तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4, 5, 6 व 7 (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन परदे और वितरण का विनियमन) अधिनियम् 2003 का अधिनियम 34) नियमों के उल्लंघन पर कैद व जुर्माना प्रावधानित है। उपरोक्त निर्देशों का पालन कराए जाने की समस्त जवाबदारी दुकान संचालक की होगी। अन्यथा. की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।. आदेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

Scanned by CamScanner

पृ.क्रमांक/ 3582/सां.लि/कोरोना/2020 कवर्धा, दिनांक 26 /05/2020

प्रतिलिपि –

1. पुलिस अधीक्षक, जिला कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कवीरधाम को सूचनार्थ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जिला खाद्य अधिकारी, कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्रम पदाधिकारी, कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व अनुविभागीय दण्डधिकारी, जिला कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व जनपद पंचायत..................... कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक संचालक, जनसंपर्क कवीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कवीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व संबंधित श्री .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कवीरधाम

Scanned by CamScanner